

06.03.2020

आज यह पत्रावली कमील डाकघर
की ओर ले गये सभी के उपर
मूल कास में डाकघर उलूत करने
पर पेडी में भी सभी डाकघरों
की शिकायतों पर वादीगण का कास
आदि किया जा चुका है/अता
इस प्रकार में कानून की आवश्यकता
अपेक्षित नहीं है।

मल

1/2/2020

DL

लिहाजा डाकघरों की आवश्यकता
इस तरह पर डूब की जाती है।
रवा न्यायालय द्वारा जारी अर्थात्
निषेधाज्ञा क्रि. 24.06.2019 को किराना
किया जाता है। पत्रावली में सभी में
सुमाए होकर मूल कास संलग्न रहे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

